बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आवश्यक सूचना

कोविड–19 का संक्रमण एवं लॉक डाउन के कारण नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन 377 कनीय अभियंता (असैनिक), 44 कनीय अभियंता (यांत्रिक) एवं 42 कनीय अभियंता (विद्युत) के रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007 के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु कमिटि द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि आदि का सत्यापन Online किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. उक्त निर्णय के आलोक में कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का दिनांक–06.05.2020, 07.05.2020, 08.05.2020, 11.05.2020 एवं 14.05.2020 को Online Counselling किया गया था।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत स्वीकृत/रिक्त कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर संविदा नियोजन हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन में विज्ञापन में उल्लेखित शर्त्तो के अनुसार वैसे private college जो AICTE से मान्यता प्राप्त नही है अथवा जो DEEMED University नहीं है, के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाना था।

4. उक्त के आलोक में अभ्यर्थियों की संशोधित सूची विभागीय वेबसाईट www.urban.bih.nic.in के Notice Board पर दिनांक–30.05.2020 को अपराह्न 05.00 बजे से देखा जा सकता है।

5. उक्त संशोधित सूची में यदि पूर्व की सूची के अभ्यर्थी शामिल है तथा उन अभ्यर्थियों द्वारा Counselling कराया जा चुका है, तो उन्हें पुनः Counselling में शामिल होने की आवश्यता नहीं है। यदि पूर्व की सूची में शामिल अभ्यर्थी जो वर्तमान के संशोधित सूची में शामिल है तथा लॉकडाउन के कारण Counselling नहीं करा पाये है, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए तथा संशोधित सूची में शामिल नये अभ्यर्थियों का Counselling निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्रमांक	पदनाम	आरक्षण कोटि	Online Counselling की निर्धारित तिथि एवं समय
1	2	3	4
1	कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत)	पूर्व की सूची से संशोधित सूची में शामिल सभी कोटि के अभ्यर्थी जो लॉक डाउन के कारण Counselling नहीं करा पाये है तथा संशोधित सूची में शामिल सभी कोटि के नये अभ्यर्थी	01.06.2020 एवं 02.06.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक

6. Online Counselling के लिए निर्धारित तिथि को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अपने पास रखना सुनिश्चित करेंगे:–

(i) मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक प्रमाण–पत्र,

(ii) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक प्रमाण–पत्र,

(iii) शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, जो Online आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो,

(iv) अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (SC/ST आरक्षित कोटि में अभ्यर्थियों के लिए),

(v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र (EWS Certificate) (जिनपर लागू हो),

(vi) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (BC/EBC/WBC अभ्यर्थियों के लिए),

(vii) जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण–पत्र (जिसपर लागू हो),

(viii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए),

(ix) Online आवेदन की प्रति।

7. अनुशंसित अभ्यर्थियों का Online Counselling Video Conferencing Software/ Mobile App के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इससे संबंधित दिशा–निर्देश अभ्यर्थियों को Counselling से पूर्व email एवं उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। Online Counselling हेतु आवश्यक उपकरण यथा – Smart Phone/Laptop/Tab एवं 4G Internet की व्यवस्था करना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

28.05.2020

(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।